FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT | P.S. (थाना): C.P.S Jaipur | Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0191 | Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 05/09/2024 20:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन | Date From (दिनांक से): 02/09/2024 | Date To (दिनांक तक): 03/09/2024

   Time Period (समय अवधि): पहर | Time From (समय से): 13:50 बजे | Time To (समय तक): 21:43 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/09/2024 | Time (समय): 18:15 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 | Date & Time (दिनांक एवं समय) 05/09/2024 20:42:01 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 15 किमी | Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

   (b) Address(पता): PNB KE SAMNE, POLICE THANA MUHANA KE PASS

   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

   Name of P.S (थाना का नाम): | District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** AKASH ANAND
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** SATISH CHAND SACHAN
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	H58, SAINI COLONY SWEJ FARM, SODALA JAIPUR, RAMNAGAR VISTAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	H58, SAINI COLONY SWEJ FARM, SODALA JAIPUR, RAMNAGAR VISTAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	V P SINGH		पिता:PRATAP SINGH	1. IKLERA,DEEG,डीग, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

निवेदन है कि दिनांक 02.09.2024 को श्री बलराम सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाया, जहां दो पुरूष व एक महिला बैठे हुए थे। अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री आकाश आनन्द पुत्र श्री सतीशचन्द सचान निवासी एच-58, सैनी कॉलोनी, स्वेज फार्म रामनगर विस्तार, सोडाला, जयपुर (राज.) से मन् पुलिस निरीक्षक का परिचय करवाया एवं उनके द्वारा हस्तलिखित प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मन् पुलिस निरीक्षक को पृष्ठांकित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी आकाश आनन्द व उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को लेकर अपने कार्यालय कक्ष नं. 306 में आयी तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। परिवादी श्री आकाश आनन्द ने प्रार्थना पत्र इस आषय का पेष किया कि- 'सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरो जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर। विषय-रिस्वत लेते हुए पकडवाने के लिये। महोदय निवेदन है कि मेरे भुखण्ड सख्या 16, श्री जी नगर कन्कखो की ढाणी रामपुरा रोड जयपुर पर निर्माण कराने के लिये ठेकेदार भवंर बैरवा से लिखा पढी कर निर्माण करवाया मेरे भुखण्ड पर अभी निर्माण चल रहा है मैंने काफी मात्रा में ठेकदार का रूपये दे दिये है। अब वो मेरे से और रूपये की मांग कर रहा है। मैने ठेकदार को हिसाब करनें को कहों परन्तु ठेकेदार ने हिसाब नहीं कर मेरे व मेरे मित्र रफीक खान के खिलाफ पुलिस थाना मुहाना में रिपोर्ट दी जिस पर पुलिस थाना मुहाना के कान्सटेबल श्री वी.पी. सिंह ने मुझे डरा धमका कर कल दिनांक 1-9/2024 का पांच घन्टे पुलिस थाना पर बिठा दिया फिर मेरे से पांच हजार रू. ले कर मुझे छोडा व अब ठेकेदार से समझौता कराने के लिए मेरे व मेरे दोस्त के खिलाफ कोई कारवाई नहीं करने की ऐवज में पांच हजार की और डिमांड कर रहा है। उक्त परिवाद की जांच नेमीचन्द के पास होना बताया था मै रिस्वत लेते हुए श्री वी. पी. सिंह को पकड़वाना चाहता हू। मेरी वी.पी. सिंह से कोई दुश्मनी नहीं है। तथा न ही कोई लेन-देन शेष है। अतः कानूनी कारवाई करे। प्रार्थी आकाश आनन्द S/o सतीसचन्द सचान निवासी H-58 सैनी कॉलोनी स्वेजफार्म रामनगर विस्तार सोडाला- जयपुर (राज.) । परिवादी से मजिद दरियाफ्त पर परिवादी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया, मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। इसलिये मांग सत्यापन करवाना आवश्यक है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय में उपस्थित श्री उदय शर्मा कानि. 170 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा उनका व परिवादी श्री आकाश से आपस में परिचय करवाया। कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया एसडी/मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB निकलवाकर उसका खाली होना सुनिष्चित कर परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की प्रक्रिया की समझाईष की। परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि एसओ की रात्रि के समय ड्यूटी है इस कारण अभी मिलने की संभवना नहीं है, एसओ सुबह जल्दी मिल सकता है। इस पर परिवादी व श्री उदय शर्मा कानि. को हिदायत देकर आपस में एक-दूसरे के मोबाईल नंबर लेने के लिए कहा व श्री उदय शर्मा कानि. व परिवादी को आपस में संपर्क कर मांग सत्यापन संबंधी अग्रिम कार्यवाही हेतु मुनासिब हिदायत दी। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। श्री उदय शर्मा को हिदायत की गयी कि सुबह परिवादी से संपर्क होने पर मांग सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कॉर्ड लेकर परिवादी के बताए अनुसार पहुचे। तत्पष्चात डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी को पुनः सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। इसके पश्चात दिनांक 03.09.2024 को श्री उदय कानि. 170 द्वारा जरिए मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक से संपर्क किया व बताया कि निर्देशानुसार मैंने कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड ले लिया है तथा परिवादी आकाश आनन्द व उनकी पत्नी श्रीमती हेमन्त सचान उर्फ सुमन द्वारा मुझे अनाज मंडी ,मुहाना बुलाया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि. उदय शर्मा को मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु मुनासिब हिदायत की गयी। समय 1.11 पीएम पर कानि. श्री उदय मन् टीएलओ के समक्ष उपस्थित कार्यालय आये व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कॉर्ड सुपुर्द करते हुए बताया कि मैं कार्यालय से मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड (डी.वी.आर.) मय एसडी कॉर्ड के रवाना होकर परिवादीगण से हुई वार्ता अनुसार अनाज मंडी, मुहाना पहुचा जहां समय करीब 8.55 एएम पर परिवादी श्री प्रकाश आनन्द अपनी पत्नी श्रीमती हेमन्त सचान उर्फ सुमन व मित्र श्री रफीक खान के साथ आए। परिवादी ने मुझे बताया कि एसओ ने मेरे मित्र श्री रफीक खान को साथ लाने के लिए कहा है, परन्तु हमें अंदेशा है कि हमारे व ठेकेदार के बीच वाद को लेकर एसओ श्री रफीक खान को मेरी तरह थाने पर बिठा सकता है इसलिए मैं उनको मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु साथ नहीं ले जाना चाहता। जिस

पर मन् कानि. द्वारा आप टीएलओ से जरिए व्हाट्सअप कॉल निवेदन किया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त किए जिसकी पालना में एवं परिवादी श्री आकाश आनन्द के कहे अनुसार डीवीआर श्रीमती हेमन्त सचान उर्फ सुमन को चालू कर सुपुर्द कर, मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु समय करीब 9.25 एएम पर एस ओ से मिलने हेतु रवाना किया तथा मैं भी उनके पिछे-2 गोपनीय रूप से रवाना होकर मुहाना थाने के आसपास गोपनीय रूप से मुकिम हो गया। कुछ समय पश्चात् थाने के बाहर दो व्यक्ति परिवादीगण से मिले, कुछ समय वार्तालाप के उपरांत थाना परिसर मुहाना में प्रवेश कर गए। इस दौरान परिवादीगण फोन पर वार्ता करते हुए कई बार थाना परिसर के बाहर व अन्दर आते जाते रहे। समय करीब 12.25 पीएम पर परिवादीगण थाना परिसर से बाहर आए, परिवादीगण व अन्य व्यक्ति आपस में वार्ता करने के उपरांत एसओ भी थाने से बाहर आया परिवादीगण स्वयं के वाहन में जाकर बैठ गए थे तभी एक व्यक्ति ने उनके पास आकर कुछ सेकंड वार्ता कर रवाना हो गया, फिर परिवादी भी स्वयं के वाहन से रवाना हो गए। मैं भी परिवादी के पिछे-2 पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुचा जहां परिवादीगण वाहन में मिले मैं भी उनके वाहन में बैठा तो श्रीमती हेमन्त सचान उर्फ सुमन ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मैंने बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादीगण ने बताया कि थाने में अंदर जाने से पहले ठेकेदार व एक अन्य व्यक्ति मिले, जिनसे वार्ता उपरांत परिवादीगण थाने में गए। जहाँ एसओ ने हमे कुछ समय बैठाए रखा, तथा एक महिला कर्मचारी द्वारा ठेकेदार व परिवादीगण के मध्य समझौते आदि की वार्ताए होना बताया। परिवादीगण ने बताया कि जब वे अपनी गाड़ी में रवाना होने के लिए बैठे, तो इस दौरान एसओ उनकी गाड़ी के पास आया व पीछे का गेट खोलकर खर्चे पानी के लिए पांच (पॉच हजार) की मांग करना व आज शाम को देने आदि वार्ता होना अवगत कराया। कानि. द्वारा समस्त हालात समय-समय पर आप टीएलओ को जरिए दूरभाष निवेदन किए तथा निर्देशानुसार परिवादीगण को एसीबी कार्यालय उपस्थित होने की हिदायत कर वहां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुंचा। मन् टीएलओ द्वारा कानि. उदय द्वारा सुपुर्द किए गए डीवीआर को सरसरी तौर पर सुना गया तो मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी तथा कानि. के कथनों की ताईद हुई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कॉर्ड को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। इसके पश्चात समय 02.22 पीएम पर परिवादी श्री आकाश आनन्द व उसकी उसकी पत्नी श्रीमती हेमन्त सचान उपस्थित कार्यालय आए व कानि. उदय शर्मा के किए गए कथनो की ताईद की करते हुए परिवादी श्री आकाश ने मन् टीएलओ को बताया कि मेरी पत्नि ने अपने फोन नंबर से श्री वीपी सिंह के फोन नंबर पर बात की तो उसने हमें 8.30 एएम पर थाने पर बुलाने पर हमने उदय जी को इस बारे में बताया तथा अनाज मंडी मुहाना मिलने की बात कही। हम श्री रफीक खान जी के साथ समय करीब 8.55 एएम पर अनाज मंडी मुहाना पहुचे, जहाँ उदय जी मौजूद थे। कानि. उदय द्वारा मेरी पत्नी श्रीमती हेमन्त सचान को दिये गये डीवीआर मय एसडी कॉर्ड चालू कर देने पर मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु मुहाना थाने पहुचे, जहाँ ठेकेदार व एक अन्य व्यक्ति पहले से मॉजूद थे। जिनसे बात करने के उपरांत हम थाने में गए जहां एसओ ने हमे कुछ देर के लिए बैठा दिया। थोडी देर बाद श्री वीपी सिंह ने हमे व ठेकेदार को वर्दी पहने एक महिला कर्मचारी से मिलाते हुए कहा कि तुम्हारा हिसाब मेरे बस की नही है ये मैडम करेगी और वहां से चला गया। महिला कर्मचारी व हमारे बीच बहुत देर तक ठेकेदार व हमारे बीच चल रहे विवाद के संबंध में बातचीत व लिखा-पढी चली। इस बीच में श्री वीपी सिंह भी बार-बार आ रहा था। ठेकेदार के हिसाब से 36000/- व हमारे हिसाब से 21800/- हमे ठेकेदार को देने थे। अंत में 28000/- रूपए ठेकेदार को देना तय हुआ, जिसका एसबीआई का चैक मेरी पत्नि श्रीमती हेमन्त सचान उर्फ सुमन ने एसबीआई बैंक का कल दिनांक 04.9.24 का बना कर उसी समय ठेकेदार को सौंप दिया था। उक्त चैक के नंबर 250821 है। उक्त राजीनामा के संबंध में थाने में आज कोई लिखा-पढी हमारे सामने नहीं हुई। श्री वीपी सिंह ने हमें उक्त संबंध में व्हाट्सअप करने की बात कही। इसके बाद हम सभी बाहर आ गए। इसके पश्चात् जब हम गाड़ी में बैठकर रवाना हो रहे थे तब श्री वीपी सिंह पीछे से हमारी गाड़ी के पास आया और पीछे का गेट खोलकर खुद के खर्चे पानी की बात कही जिसपर मेरे द्वारा (आकाश आनन्द) कितने करने है, पुछे जाने पर श्री वीपी सिंह ने शाम तक पॉच (5000/-रूपए) कर देने की बात कही। तत्पश्चात श्री वीपी सिंह के जाने के बाद हम रवाना हो गये, कुछ दूरी पर चलने के पश्चात् श्री उदय जी से मिले जिन्होंने मेरी पत्नि से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर, बंद किया व सुरक्षित अपने पास रखा व कुछ समय पश्चात् अन्य कार्य करते हुए निर्देशानुसार एसीबी कार्यालय उपस्थित आए। इसके पश्चात् परिवादीगण ने भू-खण्ड सं. 16, कन्खो की ढाणी के पास श्रीजी नगर, सांगानेर जयपुर को वाटिका गृ.नि.स.समिति का पट्टा व साईट प्लान को फोटोप्रति तथा दिनांक 01.09.2024 को हुये हिसाब-किताब संबंधी मूल कागजात स्वयं के हस्ताक्षरशुदा प्रस्तुत किये, जिनको बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात कार्यालय आलमारी से आज दिनांक 03.09.24 को परिवादी आकाश आनन्द व श्रीमती हेमन्त सचान उर्फ सुमन व संदिग्ध आरोपी आदि के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता सुनने हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी से निकाला जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ता को परिवादीगण की उपस्थिति में सरसरी तौर पर सुना जाकर आवाज पहचान करवाई गई। उक्त वार्ता को पृथक से विस्तृत रूप से सुना जाकर लिखा जायेगा। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादीगण को आज दिनांक को ट्रैप कार्यवाही आयोजित किए जाने एवं इस हेतु एसओ को दी जाने वाली रिश्वती राशि 5000/- की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित कर कार्यालय से रूखसत किया। तत्पश्चात मन टीएलओ द्वारा परिवादीगण आकाश आनन्द व श्रीमती

हेमन्त सचान उर्फ सुमन व संदिग्ध आरोपी आदि के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर अपने निर्देशन में लिखवाया गया। इस दौरान पूर्व में पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा एवं श्री वेदप्रकाश उपस्थित आये, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा हाल स्टेनो, कार्यालय राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, झालाना जयपुर व दूसरे ने अपना नाम श्री वेदप्रकाश हाल अधीक्षक कार्यालय राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, झालाना जयपुर होना बताया। इसके पश्चात परिवादी श्रीमती हेमन्त सचान उर्फ सुमन व श्री आकाश आनन्द के उपस्थित कार्यालय आने पर स्वतंत्र गवाहान श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा हाल स्टेनो, कार्यालय राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, झालाना जयपुर एवं श्री वेदप्रकाश हाल अधीक्षक, कार्यालय राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, झालाना जयपुर से आपस में परिचय करवाया तथा इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने पृथक पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये । तत्पश्चात समय 06.42 पीएम पर एसओ की उपस्थिती सुनिश्चित करने हेतु परिवादी श्री आकाश आनन्द के मोबाईल नंबर से एसओ के फोन नंबर पर दो बार कॉल किया गया, किन्तु एसओ द्वारा कॉल अटेन्ड नहीं किया गया। उक्त कॉल्स को कार्यवाही में पूर्व से प्रयोग में लिए गए डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कॉर्ड को निकलवाया जाकर कानि. उदय से रिकॉर्ड करवाए जाने के उपरांत बंद कर सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात समय 07.26 पीएम पर एसओ के फोन नंबर से परिवादी श्री आकाश आनन्द के मोबाईल नंबर पर कॉल आने पर, परिवादी के फोन का स्पीकर ऑन कर स्वतंत्र गवाहान् की मौजूदगी में श्री उदय शर्मा से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कॉर्ड को ऑन कर एसओ एवं परिवादी के मध्य हुई वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। एसओ द्वारा 9 बजे तक पहुचने, रफीक को नहीं लाने एवं परिवादी को स्वयं को ही आने संबंधी वार्ता की। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री आकाश आनन्द को संदिग्ध आरोपी श्री वीपी सिंह पुलिस थाना मुहाना, आयुक्तालय जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी आकाश आनन्द ने अपने पास से भारतीय चलन मु्रदा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5,000/- रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा पेषशुदा नोटो को स्वतंत्र गवाहान को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाकर, नम्बरों का मिलान गवाहान से करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री मनीष हैड कानि न 31 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर कमरे मे रखी टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री मनीष है.कानि. 31 जयपुर नगर तृतीय, भ्रनिब्यूरो से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री आकाश आनन्द की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री वेदप्रकाश से लिवायी गयी, परिवादी के पास कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोबाईल फोन छोडा गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही मिली। तत्पश्चात श्री मनीष हैड कानि. नं.31 से रिश्वत राशि 5,000/- रूपये परिवादी श्री आकाश आनन्द की पहने हुऐ पेन्ट की सामने की नीचे की तरफ की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये व कार्यालय की अलमारी से पूर्व में मांग सत्यापन के दौरान प्रयोग में लिए गए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को निकलवाकर परिवादी को दिया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया व श्री मनीष हैड कानि न 31 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया तथा श्री मनीष हैड कानि न. 31 को कार्यालय में ही छोडा गया एवं परिवादिया श्रीमती हेमंत उर्फ सुमन को रात्रि वक्त होने से कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके पश्चात समय 08.10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक श्रीमती रजनी, श्री मूलचन्द मीणा पुलिस निरीक्षक मय अशोक मुख्य आरक्षक न.54, श्री दयाचन्द है.का.,श्री सरदार सिंह कानि.187, श्री उदय कानि.170, श्री रोहित क.सहायक श्री इन्द्र सिंह कानि 148, श्रीमती नीलम कानि.22 व श्री विशाल बाछल क. लिपिक व स्वतंत्र गवाह वेदप्रकाश व श्री देवेन्द्र मिश्रा एवं परिवादी श्री आकाश आनन्द एवं मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहन मय चालक के एसीबी कार्यालय से रवाना हुए, इस दौरान परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री वीपी सिंह मेरे वाहन में बैठकर पैसे ले लेगा। इसलिये मैं मेरे दोस्त श्री रफीक खान से चार पहिया वाहन मंगा लेता हू। इस पर परिवादी को रफीक खान को सीधे ही मुहाना मंडी बुलाने की हिदायत दी, जिस पर श्री आकाश आनन्द ने अपने मित्र श्री रफीक खान को फोन कर सीधे ही मुहाना मंडी आने हेतु कहा। ट्रेप कार्यवाही के लिए रवाना होकर समय 08.45 पीएम पर मुहाना मण्डी पहुचे,जहां पर गोपनीयता बनाये रखते हुऐ वाहन को खडा करवाया गया। थोडी देर के पश्चात श्री रफीक खान एक वाहन सफेद कलर की स्फिट वीडीआई नम्बर आरजे 45सीजेड2708 लेकर उपस्थित आया। संदिग्ध आरोपी श्री वीपी सिंह के पुलिस थाना मुहाना में आने के बारे में पूछने के लिए समय करीब 08.56 व 08.57 पीएम पर परिवादी श्री आकाश आनन्द के मोबाईन नम्बर से आरोपी के मोबाईल नम्बर 8003432651 पर वार्ता करवाई तो संदिग्ध आरोपी ने कहा कि मै पुलिस थाने पर पहूंच रहा हूं। उक्त वार्ता को डीवीआर में रिकॉर्ड करवाया गया। संदिग्ध के उक्त मोबाईल नम्बर से परिवादी के मो.नं. पर मिस्ड कॉल आने पर परिवादी ने समय

09.23 पर आरोपी को कॉल किया तो उसने बताया कि मैं मुहाना थाने पर आ गया हू, जिसपर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री रफीक खान को वहीं रहने की हिदायद की तथा रात्रि का वक्त होने तथा बारिश का मौसम होने के कारण परिवादी श्री आकाश आनन्द के साथ श्री उदय कानि एवं श्री विशाल बाछल कनिष्ठ लिपिक को रफीक खान की कार में बैठने के निर्देश देते हुये रवाना किया तथा परिवादी को बताया कि संदिग्ध आरोपी वीपी सिंह रिश्वत राशि प्राप्त कर लेवे तो आप अपने वाहन की पार्किंग लाईट/डिपर जलाकर अथवा परिस्थित अनुसार पूर्व में निर्देशित ईशारा कर देवे। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान भी उनके वाहन के पीछे पीछे रवाना होकर पुलिस थाना मुहाना से कुछ दूरी पूर्व पहूच कर वाहनो को साईड में खडा कर परिवादी के वाहन के आस पास मुकिम हुऐ। इस समय बारिश होने से मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री इन्द्र सिंह कानि व श्री अशोक हैड कानि को परिवादी के वाहन के पास गोपनीयता बनाये रखते हुऐ रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान व स्वतंत्र गवाहान सरकारी वाहन में ही बैठकर परिवादी का निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुऐ। समय 09.43 पीएम पर परिवादी आकाश आनन्द ने मुहाना पुलिस थाने के पास कार में बैठे हुए पूर्व निर्धारित ईशारा अपनी गाडी से डीपर (लाईट ऑन-ऑफ) देकर ईशारा किया। मन् पुलिस निरीक्षक हमराही जाप्ता व स्तवंत्र गवाहान को साथ लेकर परिवादी के दोस्त की गाडी आरजे 45 सीजेड 2708 के पास पहुची तब श्री इन्द्र सिंह कानि. एवं श्री अशोक कुमार है. कानि. परिवादी की गाड़ी के पास उपस्थित थे। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री उदय कानि. के मार्फत परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् परिवादी श्री आकाश आनन्द ने बताया कि यही श्री वीपी सिंह कानि. है जिन्होंने अभी अभी मेरे से अपनी मांग के अनुसार 5000/- रूपए अपने बांए हाथ से लेकर अपने पहने हुए पेंट की बांयी साईड की जेब में रख लिए है। तत्समय बारिश होने से आरोपी को वाहन सहित पुलिस थाना परिसर में ले जाने के निर्देश दिए थे जिस पर श्री विशाल कनिष्ठ लिपिक ने आरोपी का बायां हाथ पकड़ा तथा श्री अशोक है.कानि. 54 ने आरोपी श्री वीपी सिंह का दंहिना हाथ कलाई के उपर से पकड़ा तथा गाडी में बिठाकर पुलिस थाना मुहाना पहुंचे। जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के पुलिस थाना पहुंची तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना परिसर के अंदर पहूंचे। परिवादी श्री आकाश आनंद व आरोपी श्री वीपी सिंह के मध्य हुई लेन देन वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कॉर्ड मे रिकॉर्ड है को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सरसरी तौर पर चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होने की पुष्टि होती है, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। इसके पश्चात आरोपी, जिसका श्री विशाल कनिष्ठ लिपिक ने बायां हाथ तथा श्री अशोक है.कानि. 54 ने दंहिना हाथ कलाई के उपर से पकड़ा हुआ था को बेंच पर बिठाया तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व हमराहियान का व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री वीपी सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, उम्र 34, जाति जाटव पेशा नौकरी, निवासी गांव इकलेरा, तहसील डीग, जिला डीग, राज. हाल निवासी क्वार्टर नंबर 198, आरपीए, शास्त्रीनगर जयपुर हाल कानि. 10330 पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री वीपी सिंह को परिवादी श्री आकाश आनन्द से रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री वीपी सिंह कानि. नं. 10330 घबरा गया और बताया कि इनके विरूद्ध पुलिस थाना मुहाना में परिवाद प्रस्तुत हुआ है जिसमें कार्यवाही बंद करने के लिए मैंने इनसे 5000/- रूपए लिये है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री आकाश आनन्द ने बताया कि मेरे भूखण्ड सं. 16 कनखो की ढाणी के पास, श्रीजी नगर सांगानेर जयपुर पर निर्माण करवाया जा रहा है जिसका ठेकेदार श्री भंवरलाल बैरवा को दिया गया है। जिसमें निर्माण के संबंध में समय-समय पर मैंने ठेका को पैसे दे दिए जिसके बावजूद ठेकेदार द्वारा मेरे से और पैसो की मांग की जा रही है इस पर मैंने ठेकेदार को हिसाब करने के लिए कहा तो उसने हिसाब नहीं कर मेरे विरूद्ध पुलिस थाना मुहाना में रिपोर्ट दे दी। उक्त रिपोर्ट के संबंध में श्री वीपी सिंह कानि. के द्वारा जांच की जा रही है जिन्होने मुझसे 5000/- रूपए दिनांक 01.09.24 को ले लिए जिसके पश्चात मेरे से और रिश्वत राशि 5000/- की मांग कर रहे थे जिसके संबंध में मैंने दिनांक 02.09.24 को एसीबी में शिकायत की थी। इसके पश्चात् आज श्री वीपी सिंह कानि. द्वारा पैसो की मांग करने के संबंध में मांग सत्यापन करवाया गया था जिस पर इनके द्वारा मेरे से खर्चे-पानी के 5000/- रूपए की रिश्वत राशि की मांग की थी। उक्त मांग के अनुशरण में ही अभी-अभी मेरे से 5000/- रूपए की रिश्वत राशि अपने बांए हाथ से प्राप्त कर पहने हुए पेंट की बांयी साईड की जेब में रख लिए। इसके पश्चात् मैंने आपको निर्धारित ईशारा किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री आकाश आनन्द द्वारा कही गई बातों की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ बोतल में पुलिस थाना परिसर में बने वाटर कूलर में से स्वच्छ पानी भरवाया जाकर दो पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में स्वच्छ पानी भरवाकर उसमे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री वीपी सिंह कानि. 10330 के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R1 व R2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ स्वच्छ पानी से भरे साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण

तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री वीपी सिंह के बांये हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क L1 व L2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री वेदप्रकाश से आरोपी श्री वीपी सिंह की जामा तलाशी लिवायी गयी तो आरोपी के पेंट की बांयी साईड की जेब से 500-500 के 10 नोट कुल राशि 5000/- रूपए निकाल कर पेश किये। उक्त नोटो को दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी नोट से नंबरो का मिलान करवाया गया तो हुबहू होना पाये गये। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5000/-रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की तलाशी के दौरान उसके पास मिल मोबाईल सेमसंग कंपनी को भी स्वतंत्र गवाह श्री वेदप्रकाश के पास सुरक्षित रखवाया। तत्पश्चात आरोपी श्री वीपी सिंह कानि. 10330 के लिए पायजामा की व्यवस्था की गयी व आरोपी के पहने हुए काले कलर की पेंट को सम्मानजनक उतरवाया जाकर दूसरा पायजामा पहनाया गया तथा परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दो पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में स्वच्छ पानी भरवाकर उसमे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री वीपी सिंह कानि. नं. 10330 के पहने हुए पेंट की बांयी साईड की जेब को उल्टा कर मिश्रण में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद आरोपी की पहने हुए पायजामा को सुखाकर आगे की बांयी साईड की जेब पर स्वतंत्र गवाहान व संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखा जाकर सील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर जब्त कर कब्जा एसीबी ली गयी। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री वीपी सिंह कानिस्टेबल नम्बर 10330 का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अपराध से आगह बीएनएस में नियत प्रावधानों के अनुसार जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री आकाश आनन्द के विरूद्ध दर्ज परिवाद प्राप्त करने के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना मुहाना जयपुर के नाम तहरीर जारी की गयी जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना मुहाना जयपुर के पत्रांक 9365 दिनांक 03.09.24 से मूल परिवाद एवं परिवाद रसीद की कार्बन प्रति उपलब्ध करवायी गयी जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि भंवर लाल बैरवा द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना मुहाना जयपुर के नाम श्री आकाश व रफीक के विरूद्ध परिवाद दिनांक 31.08.24 को प्रस्तुत किया गया है जिसको पुलिस थाना मुहाना में रिसिव्ड 1945 दिनांक 31.08.24 किया जाकर श्री वीपी सिंह कानि. नं. 10330 को जांच करने के लिए पृष्ठांकित किया हुआ है, जिनको शामिल कार्यवाही किया गया। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में घटनास्थल पर पर्याप्त रोशनी होने से घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया एवं आरोपी की कार किया सोनेट वाहन सं. आर जे 14 सीयू 3991 की तलाशी लेने हेतु परिवादी व स्वतंत्र गवाह को हमराह लेकर वाहन की तलाशी ली गयी तो वाहन में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु व राशि व दस्तावेज नहीं मिले। मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री वीपी सिंह कानिस्टेबल नम्बर 10330 को आवाज नमूना नोटिस देने पर आरोपी श्री वीपी सिंह कानिस्टेबल नम्बर 10330 ने नोटिस की प्रति पर अंकित किया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हू। उक्त आवाज नमूना के नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। बाद ट्रेप कार्यवाही परिवादी व स्वतंत्र गवाहान श्री वेदप्रकाश व श्री देवेन्द्र मिश्रा को समय 11.00 एएम पर कार्यालय उपस्थित होने के निर्देश दिये जाकर रूखसत किया एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री वीपी सिंह कानि. 10330, जब्त शुदा आर्टिकल्स R-1 R-2 L-1 L-2, P, P-1 P-2, एवं रिश्वती राशि 5000 रूपये मय लैपटॉप प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के मय सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुचे। जहां पर जप्तशुदा समस्त आर्टिकलस को श्री अशोक हैड कानि. न. 54 को सुपुर्द कर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। आरोपी श्री वीपी सिंह को सुरक्षा के लिए दाखिल हवालात करवाया गया तथा सुरक्षा के लिए सन्तरी पहरा को मुनासिब हिदायत दी गई। वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री आकाश आनन्द व स्वतंत्र गवाहान श्री देवेन्द्र मिश्रा व वेदप्रकाश की उपस्थिति में परिवादी श्री आकाश आनन्द व परिवादी की पत्नी श्रीमती हेमन्त सचान व आरोपी श्री वीपी सिंह कानि न 10330 के मध्य दिनांक 03.09.2024 को हुई मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 03.09.2024 को मोबाईल पर हुई वार्ता तथा रिश्वत राशि लेन-देन के समय परिवादी श्री आकाश आनन्द व आरोपी श्री वीपी सिंह कानि न 10330 के मध्य आमने सामने हुई वार्ता जो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में

लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कार्यालय के लैपटॉप से जोडकर सुना जाकर पूर्व से तैयार ट्रांसक्रिप्ट से मिलान करवाया गया। वार्ताओ को सुनकर परिवादी आकाश आनन्द ने अपनी व स्वयं की पत्नी श्रीमती हेमन्त सचान की आवाज एवं आरोपी श्री वीपी सिंह कानि की, महिला पुलिस कर्मी व ठेकेदार भंवरलाल की आवाज की पहचान की तथा रिकॉर्ड वार्ता की सीडी बनवाने हेतु कार्यालय से 05 सीडी मंगवायी जाकर सीडीयां खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं की 05 सीडीयो में बर्न/अपलोड कर तैयार की जाकर 05 सीडीयों में वाईस क्लिप होना सुनिश्चित कर सीडियों पर क्रमशः मार्क A1 A2 व A3 A4 A-5 अंकित किया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तीन सीडी मार्क A1 व A2 A-3, को अलग-अलग प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। सीडी मार्क A4 A5 खुली रखी गई। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड 32 जीबी sandisk कम्पनी को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई व जप्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल, फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी श्री वीपी सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, पेशा नौकरी, निवासी गांव इकलेरा, तहसील डीग, जिला डीग, राज. हाल निवासी क्वार्टर नंबर 198, आरपीए, शास्त्रीनगर जयपुर, हाल कानि. 10330 पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए परिवादी श्री आकाश आनन्द के विरूद्ध पुलिस थाना मुहाना में दर्ज परिवाद में ठेकेदार श्री भंवरलाल बैरवा से समझौता कराने के लिए एवं परिवादी व उसके दोस्त के खिलाफ कोई कारवाई नहीं करने की एवज में 5000/- रूपए दिनांक 01.09.24 को प्राप्त करना व दिनांक 03.09.24 को मांग सत्यापन के दौरान 5000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना व अपनी मांग के अनुशरण में दिनांक 03.09.2024 को 5000/- रूपए की रिश्वत राशि लेन-देन के समय प्राप्त करना पाये जाने से आरोपी श्री वीपी सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, उम्र 34, जाति जाटव पेशा नौकरी, निवासी गांव इकलेरा, तहसील डीग, जिला डीग, राज. हाल निवासी क्वार्टर नंबर 198, आरपीए, शास्त्रीनगर जयपुर, हाल कानि. 10330 पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मेंअपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित है । (रजनी) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमति रजनी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) आरोपी श्री वीपी सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, पेशा नौकरी, निवासी गांव इकलेरा, तहसील डीग, जिला डीग, राज. हाल निवासी क्वार्टर नंबर 198, आरपीए, शास्त्रीनगर जयपुर, हाल कानि. 10330 पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री छोटीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 78 पर अंकित है। (ज्ञानसिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज., जयपुर क्रमांक 1033-36 दिनांक 05.09.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम सं0 1, जयपुर। 2 श्रीमान पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, आयुक्तालय, जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज., जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** Chhotee Lal Meena **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/10/1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)